

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

आवेदन - 2015-18 में प्रार्थी के नाम में उद्योग/पुनः स्थापना तथा योग्य फसि करावना हेतु रिपोर्ट
जांच उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चा की जाती है / की जाती है।

[Signature]
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी निम्न सुझनु (पत्र.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 2-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (नू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 138 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	जिवाला कोशी	2075- 2078	141 गन्ना 139 गुन्ना	① लोनी डेवी ② श्योकरा	① लोनी डेवी ② शिवकरा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 2-11-2021

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 743-44

वैलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया *[Signature]* को सूचनार्थ।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी